न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 211 सन 2022

अनवान :–

1. बुधसिह पुत्र कौरसिह उर्फ करतारसिह जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुमित मान पुत्र राजपाल नाबालिग जरिये माता कमलेश पत्नी राजपाल जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सिमरन पुत्री राजपाल नाबालिग जरिये माता कमलेश पत्नी राजपाल जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. कमलेश पत्नी राजपाल पुत्र औकारसिह उर्फ करतारसिह जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सरजीत पुत्र करतारसिह जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
5. रेशमी पत्नी करतारसिह उर्फ औकारसिह उर्फ कौरसिह जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/62 की कुल 7.7400हैक में से 43/25810हिस्सा भूमि करतारसिह पुत्र बरियामसिह व वादी के नाम 239/12905 हिस्सा व 937/17200हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता राजपाल के नाम 239/12905 व 8562391/133179600 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 सरजीता के नाम 4857049/66589800हिस्सा व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 547/251 की कुल 14.3260हैक में वादी का 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/48 हिस प्रतिवादी संख्या 2 का 1/48 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि पूर्व में वादी के पूर्वज बरयामसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद पुत्र/पुत्रीया करतासिह उर्फ कौरसिह उर्फ औकारसिह एव वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 व राजपाल के नाम से दर्ज हुई है करतारसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 ,5 एवं राजपाल है एवं राजपाल का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो राजपाल के हक हिस्सा की भूमि को पाने के अधिकारी है इसप्रकार करतारसिह एव राजपाल के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 वादी की माता है जो काफी वृद्व हो चुकी है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्रों एवं मृतक पुत्र राजपाल के वारिसान के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के पिता का नाम करतारसिह , कौरसिह , औकारसिह दर्ज किया जाकर हिस्सा अलग अलग दर्ज किया गया है वादी के पिता का सही नाम करतारसिह उर्फ कोरसिह है यही नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की करतारसिह उर्फ कौरसिह एवं औकार सिह व राजपाल के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवाकर वादी के पिता का नाम संशोधन करवाने के अध्किारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज बरयामसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्र करतारसिह उर्फ कौरसिह उर्फ औकारसिह एव वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 ,5 एव राजपाल के नाम से दर्ज हुई वादी के पिता करतारसिह का देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 ,5 एवं राजपाल है राजपाल का देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है इसप्रकार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/62 की कुल 7.7400हैक में से 43/25810हिस्सा भूमि करतारसिह पुत्र बरियामसिह व वादी के नाम 239/12905 हिस्सा व 937/17200हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता राजपाल के नाम 239/12905 व 8562391/133179600 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 सरजीता के नाम 4857049/66589800हिस्सा व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 547/251 की कुल 14.3260हैक में वादी का 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/48 हिस प्रतिवादी संख्या 2 का 1/48 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि पूर्व में वादी के पूर्वज बरयामसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद पुत्र/पुत्रीया करतासिह उर्फ कौरसिह उर्फ औकारसिह एव वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 व राजपाल के नाम से दर्ज हुई है करतारसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 ,5 एवं राजपाल है एवं राजपाल का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो राजपाल के हक हिस्सा की भूमि को पाने के अधिकारी है इसप्रकार करतारसिह एव राजपाल के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 वादी की माता है जो काफी वृद्व हो चुकी है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्रों एवं मृतक पुत्र राजपाल के वारिसान के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/62 की कुल 7.7400हैक में से 43/25810हिस्सा भूमि करतारसिह पुत्र बरियामसिह व वादी के नाम 239/12905 हिस्सा व 937/17200हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता राजपाल के नाम 239/12905 व 8562391/133179600 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 सरजीता के नाम 4857049/66589800हिस्सा व रोही मौजा चक 3 बारानी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के खाता संख्या 547/251 की कुल 14.3260हैक्‍ में वादी का 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/48 हिस प्रतिवादी संख्या 2 का 1/48 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज बरयामसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर करतारसिह उर्फ कौरसिह उर्फ औकारसिह वादी एव प्रतिवादी संख्यया 4 ,5 राजपाल के नाम से दर्ज हुई करतारसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायत वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 ,5 एव राजपाल है राजपाल का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो राजपाल के हिस्से की भूमि को पाने के अधिकारी है इसप्रकार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी की माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्रों के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा वादी ने निवेदन किया की उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में करतारसिह, कौरसिह , औकारसिह दर्ज किया जाकर हिस्से अलग दर्ज किये गये है वादी के पिता का नाम संशोधन किया जाकर करतारसिह उर्फ कौरसिह किया जाकर उसके हिस्से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज किया जावे वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा पूर्व में स्वीकार करने के कारण वादी के पिता का नाम संशोधन किया जाकर हिस्से एकत्रित कर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/62 की कुल 7.7400हैक्‍ में से 43/25810हिस्सा करतारसिह पुत्र वरियामसिह के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा वादी का हिस्सा 239/12905 हिस्सा बुधसिह पुत्र करतासिह व 937/17200 हिस्सा बुधसिह पुत्र कौरसिह के नाम से दर्ज है को जोड कर वादी के नाम दर्ज किया जाकर पिता का नाम करतारसिह उर्फ कोरसिह संशोधित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता राजपाल के नाम 239/12905 हिस्सा राजपाल पुत्र करतारसिह व 8562391/133179600हिस्सा राजपाल पुत्र औकारसिह के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 547/251 की कुल 14.3260हैक्‍ मे से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है में वादी के पिता का नाम बुधसिह पुत्र करतारसिह दर्ज है के स्थान पर बुधसिह पुत्र करतारसिह उर्फ कौरसिह संशोधन किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बुधसिह पुत्र कौरसिह उर्फ करतारसिह जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुमित मान पुत्र राजपाल नाबालिग जरिये माता कमलेश पत्नी राजपाल जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सिमरन पुत्री राजपाल नाबालिग जरिये माता कमलेश पत्नी राजपाल जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. कमलेश पत्नी राजपाल पुत्र औकारसिह उर्फ करतारसिह जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सरजीत पुत्र करतारसिह जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. रेशमी पत्नी करतारसिह उर्फ औकारसिह उर्फ कौरसिह जाति जटसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 211 सन 2022 निर्णय दिनांक– 22/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/62 की कुल 7.7400हैक्ट में से 43/25810हिस्सा करतारसिह पुत्र वरियामसिह के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा वादी का हिस्सा 239/12905 हिस्सा बुधसिह पुत्र करतासिह व 937/17200 हिस्सा बुधसिह पुत्र कौरसिह के नाम से दर्ज है को जोड कर वादी के नाम दर्ज किया जाकर पिता का नाम करतारसिह उर्फ कोरसिह संशोधित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता राजपाल के नाम 239/12905 हिस्सा राजपाल पुत्र करतारसिह व 8562391/133179600हिस्सा राजपाल पुत्र औकारसिह के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 547/251 की कुल 14.3260हैक्ट मे से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है में वादी के पिता का नाम बुधसिह पुत्र करतारसिह दर्ज है के स्थान पर बुधसिह पुत्र करतारसिह उर्फ कौरसिह संशोधन किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर